न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 9/2018

सुरजीतसिंह पुत्र बंतासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 32 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. नाजरसिंह पुत्र मूलासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 32 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर

दिनांक 21.12.2017

उपस्थितः—

श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत अभिभाषक अपीलार्थी

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष पेश कर चक 32 जी.बी. के मु.नं. 59 प.नं. 186/429 के कि.नं. 16 तक कि.नं. 25 में से पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के साथ—साथ दो बिस्वा भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी/अपीलांट ने पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

22/1/2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 21.12.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है जिसका हवाला अपीलांट ने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया था। रेस्पो. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलबध होने से विवादित रास्ता की आवश्यकता नहीं थी फिर भी अधी.न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं था जिस पर प्रार्थना पत्र पेश किया एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डीएलसी की दुगनी राशि दिलाने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पो. को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं होने से अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर के पश्चात इस धारा की कियान्वति हेतु बने नियम यथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधित नियम 2012 के नियम 69 के प्रावधानुसार रास्ते की आवश्यकता As absolute necessity के रूप में विवेचित की है तथा इसी नियम के आज्ञापक प्रावधानुसार मौके की रिपोर्ट नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर की

22/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 24 के रूप में उपलब्ध है जिसमें अंकित किया है कि रेस्पों. को अपने खेत में जाने के लिए दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, रास्ते की स्वीकृति के लिए मुआवजा के लिए सन्दर्भ नियम 70II(a) के अनुसार डी.एल.सी. की दर का दुगुने का प्रावधान है उसी अनुरूप प्रकरण हाजा में मुआवजा निर्धारण होकर राशि जमा हो चुकी है।

उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट अभिभाषक की यह आपत्ति कि रेस्पों. रास्ता स्वीकृति से पूर्व जहां से आने–जाने का रास्ता उपयोग में आता था वही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है के जबाव में रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया कि धारा 251ए के संशोधन से पूर्व धारा 251 में रास्ते के सुखाधिकार उपलब्ध थे परन्तु सुखाधिकार को रेकार्ड में अमल दरामद हेतु 251ए का संशोधन ही Aim and object विधायिका का रहा। अतः इसी अनुकूल रास्ता स्वीकृत किया गया है।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में मुआवजे के बिन्दु पर जाहिर किया कि Compensation Land equal होना चाहिए। अतः जमीन के बदले जमीन देना ही Compensate करना है जिसके प्रत्युत्तर में रेस्पो.अभिभाषक द्वारा सन्दर्भ नियम 70 का पठन किया जिसकी Bare-reding है कि Determination of compensation.- (1) The amount of compensation payable under sub-section (1) of section 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:—

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.
(ii) if the parties do not aggte mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to -

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

22/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline. अतः अपीलांट अभिषक की यह आपत्ति खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का परीक्षण किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है:-

1. कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए का संशोधन दिनांक 18.01.2012 किया जाकर इस अधिनियम की धारा 251 सुखाचार का suppliment किया है जिसमें नया रास्ता स्वीकृत करने तथा existing रास्तों को चौड़ा करने के प्रावधान समाहित किये गये हैं उसी अनुरूप अधी. न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है।
2. कि धारा 251ए की कियान्विति हेतु बने संशोधित नियम 69 व 70 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना अधी.न्यायालय द्वारा की गई है। अतः उपरोक्त बिन्दु संख्यश 1 व 2 के विवेचन अनुसार अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुजांइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर